संख्या-98/2022/1561/सैंतीस-2-2022/002-1(2)/2013टीसी

प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनॉक-08 सितम्बर, 2022

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-15 के अधीन पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक का संचालन एवं सुदृढीकरण (रा.यो.) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-273/सा0-एक/एक्स-120(7)/पा.क्ली.क्रिया./2022-23, दिनांक-16.08.2022 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या-43/2022/543/सैंतीस-2-2022/001-1(2)/2013टीसी, दिनॉक-27.04.2022 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-15 के अधीन पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक का संचालन एवं सुदृढीकरण (रा.यो.) के अन्तर्गत राजस्व एवं पूंजीगत पक्ष में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निम्न विवरणानुसार क्रमशः रू0-140.23 लाख एवं रू0-50.00 लाख इस प्रकार कुल रू0-190.23 लाख (रूपये एक करोड़ नब्बे लाख तेईस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

लेखाशीर्षक/मानक मद	**स्वीकृत धनराशि (लाख में)**
2403-पशुपालन- **101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-** **07-पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक का संचालन एवं सुदृढ़ीकरण**	
01-वेतन	75.74
03-मंहगाई भत्ता	28.53
06-अन्य भत्ते	2.04
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	4.00
29-अनुरक्षण	4.00
39-औषधि तथा रसायन	16.00
42-अन्य व्यय	4.00
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	4.00
55-मकान किराया भत्ता	0.32
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	1.60
योग-	**140.23**
4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय- **101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-** **11-पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक का संचालन एवं सुदृढ़ीकरण**	
26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	**50.00**
महायोग-	**190.23**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(रूपये एक करोड़ नब्बे लाख तेईस हजार मात्र)

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं मदों में योजना हेतु निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा पूर्ण विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
2. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।
4. किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में न जमा किया जाय तथा इसका व्यय नई मदों/कार्यों में न किया जाय।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक-26 अगस्त, 2014 के प्राविधानों के अनुसार कार्यदायी संस्था से प्राप्त आगणन का मूल्यांकन एवं परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति सक्षम स्तर से निर्गत कराने के उपरान्त ही निर्माण/अनुरक्षण कार्यों हेतु स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय किया जायेगा।
6. योजनान्तर्गत वस्तुओं/सामग्रियों आदि का क्रय उ0प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट आफ गुड्स) 2016 एवं विभागीय क्रय नीति (जेम) का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
7. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग योजनान्तर्गत धनराशि व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त प्रयोजन हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
8. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग द्वारा संभावित व्यय को एक मुश्त आहरित न करके फेजिंग के अनुसार किया जाये।
9. यदि आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित किया जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय।
10. विभागाध्यक्षों/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये।
11. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
12. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07.06.2022 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2403001010700 (पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक का संचालन एवं सुदृढ़ीकरण)

	अनुदान	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	संख्या			
1	015	2403001010700 पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक का संचालन एवं सुदृढ़ीकरण	01 वेतन	75,74,000 (रुपये पचहत्तर लाख चौहत्तर हजार मात्र)
2	015	2403001010700 पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक का संचालन एवं सुदृढ़ीकरण	03 मंहगाई भत्ता	28,53,000 (रुपये अट्ठाईस लाख तिरपन हजार मात्र)
3	015	2403001010700 पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक का संचालन एवं सुदृढ़ीकरण	06 अन्य भत्ते	2,04,000 (रुपये दो लाख चार हजार मात्र)
4	015	2403001010700 पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक का संचालन एवं सुदृढ़ीकरण	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	4,00,000 (रुपये चार लाख मात्र)
5	015	2403001010700 पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक का संचालन एवं सुदृढ़ीकरण	29 अनुरक्षण	4,00,000 (रुपये चार लाख मात्र)
6	015	2403001010700 पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक का संचालन एवं सुदृढ़ीकरण	39 औषधि तथा रसायन	16,00,000 (रुपये सोलह लाख मात्र)
7	015	2403001010700 पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक का संचालन एवं सुदृढ़ीकरण	42 अन्य व्यय	4,00,000 (रुपये चार लाख मात्र)
8	015	2403001010700 पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक का संचालन एवं सुदृढ़ीकरण	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	4,00,000 (रुपये चार लाख मात्र)
9	015	2403001010700 पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक का संचालन एवं सुदृढ़ीकरण	55 मकान किराया भत्ता	32,000 (रुपये बत्तीस हजार मात्र)
10	015	2403001010700 पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक का संचालन एवं सुदृढ़ीकरण	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	1,60,000 (रुपये एक लाख साठ हजार मात्र)
	कुल			**1,40,23,000** **(रुपये एक करोड़ चालीस लाख तेईस हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 4403001011100 (पशु चिकित्सा पॉलीक्लीनिक का संचालन एवं सुदृढीकरण)

	अनुदान	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	संख्या			
1	015	4403001011100 पशु चिकित्सा पॉलीक्लीनिक का संचालन एवं सुदृढ़ीकरण	26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)
	कुल			**50,00,000** **(रुपये पचास लाख मात्र)**

महायोग	1,90,23,000 (रुपये एक करोड़ नव्वे लाख तेईस हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07 जून, 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

पृ0सं0-98/2022/1561(1)/सैंतीस-2-2022/002-1(2)/2013टीसी, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।